



2026:AHC:61135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7255 वर्ष 2026

गुलजार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आमिर खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 90

माननीय न्यायमूर्ति राज बीर सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. वर्तमान दूसरी जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 1026 वर्ष 2017 से उत्पन्न एस.टी. संख्या 267 वर्ष 2018 में दायर की गई है, जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 05.03.2024 के आदेश के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया था।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक-आरोपी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि 16.09.2017 को ईस्ट एंड अपार्टमेंट, नोएडा के पास, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता के पिता की हत्या कर दी है और मृतक से 7,00,000/- रुपये की राशि लूट ली गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी इमरान के बयान के आधार पर आवेदक की संलिप्तता दिखाई गई है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक से किसी भी आपत्तिजनक वस्तु की कोई बरामदगी नहीं की गई है।

4. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और तब से दो साल से अधिक की अवधि बीत चुकी है लेकिन अब तक मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। यह बताया गया कि सह-आरोपी इमरान @ हैजा की पहली और दूसरी जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद मुकदमे में तेजी नहीं लाई जा सकी। इसी तरह के सह-आरोपी इमरान @ हैजा को इस न्यायालय ने पहले ही जमानत दे दी है। आवेदक के खिलाफ दिखाए गए पांच मामलों के आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। आवेदक 03.10.2020 से जेल में बंद है और इस प्रकार, वह पहले ही लगभग साढ़े पांच साल की हिरासत से गुजर चुका है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर पहले ही खारिज कर दिया गया है और इस दूसरी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए कोई नया आधार नहीं बनाया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक पहले ही लगभग साढ़े पांच साल की हिरासत से गुजर चुका है और सह-आरोपी इमरान @ हैजा को पहले ही जमानत दे दी जा चुकी है, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत के लिए एक मामला बनाया जाता है। इसलिए, वर्तमान दूसरी जमानत याचिका एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक गुलजार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
- iv. आवेदक सूचनाकर्ता या मामले के किसी भी गवाह से संपर्क करने, धमकी देने या अन्यथा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 24, 2026

आनन्द

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति राज बीर सिंह)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”